2025:CGHC:52449–DB

**प्रकाशनार्थ अनुमोदित**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**रिट याचिका (जनहित) क्रमांक 83/2025**

दिगबल तांडी पिता श्री धारक तांडी, आयु लगभग 53 वर्ष, निवासी–हुर्रा पारा, साल्हे टोला, पोस्ट–लारगांव मरकाटोला, तहसील नरहरपुर, जिला कांकेर (छ.ग.)

**––– याचिकाकर्ता(गण)**

**विरुद्ध**

1– छत्तीसगढ़ राज्य द्वाराः सचिव, पंचायत विभाग एवं ग्रामीण विकास, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

2– संचालक, पंचायत संचालनालय सेक्टर 19, नॉर्थ ब्लॉक, विकास भवन, ग्राउंड फ्लोर, अटल नगर, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

3– जिला कलेक्टर, जिला कांकेर (छ.ग.)

4– पुलिस अधीक्षक, कांकेर, जिला कांकेर (छ.ग.)

5– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला कांकेर (छ.ग.)

6– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, भानुप्रतापपुर, जिला कांकेर(छ.ग.)

7– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अंतागढ़, जिला कांकेर (छ.ग.)

8– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, नरहरपुर, जिला कांकेर (छ.ग.)

9– ग्राम पंचायत, कुडाल, द्वाराः सचिव , ग्राम– कुडाल, तहसील– भानुप्रतापपुर, जिला कांकेर (छ.ग.)

10– ग्राम पंचायत, पारवी, द्वाराः सचिव, ग्राम पारवी, तहसील भानुप्रतापपुर, जिला कांकेर (छ.ग.)

11– ग्राम पंचायत, बांसला, द्वाराः सचिव, ग्राम– बांसला, तहसील– भानुप्रतापपुर, जिला कांकेर (छ.ग.)

12– ग्राम पंचायत, घोटा, द्वाराः सचिव, ग्राम– घोटा, तहसील–भानुप्रतापपुर, जिला कांकेर (छ.ग.)

13– ग्राम पंचायत, घोटिया, द्वाराः सचिव, ग्राम– घोटिया, तहसील भानुप्रतापपुर, जिला कांकेर (छ.ग.)

14– ग्राम पंचायत बोंदानार, द्वाराः सचिव, ग्राम– बोंदानार, तहसील– अंतागढ़, जिला कांकेर (छ.ग.)

15– ग्राम पंचायत, मुसुरपुट्टा, द्वाराः सचिव, ग्राम– मुसुरपुट्टा, तहसील– नरहरपुर, जिला कांकेर (छ.ग.)

16– ग्राम पंचायत, सुलंगी, द्वाराः सचिव, ग्राम– सुलंगी, तहसील– पखांजूर, जिला कांकेर (छ.ग.)

**––– उत्तरवादीगण**

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री किशोर नारायण, अधिवक्ता

उत्तरवादी क्रमांक 1 से 4 की ओर से : श्री वाई.एस. ठाकुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता

उत्तरवादी क्रमांक 5 से 8 की ओर से : श्री संघर्ष पाण्डेय, अधिवक्ता

उत्तरवादी क्रमांक 9 की ओर से : श्री अनुपम दुबे, अधिवक्ता

उत्तरवादी क्रमांक 10 की ओर से : श्री बी. गोपा कुमार (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) एवं श्री हिमांशु पाण्डेय, अधिवक्तागण

उत्तरवादी क्रमांक 11 की ओर से : श्री विवेक कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता

उत्तरवादी क्रमांक 13 की ओर से : श्री जय सिंह, अधिवक्ता

उत्तरवादी क्रमांक 15 की ओर से : श्री रोहित शर्मा, अधिवक्ता

---

**एवं**

**<u>रिट याचिका (जनहित) क्रमांक 86/2025</u>**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नरेंद्र भवानी पिता स्व. अवतार भवानी, आयु लगभग 34 वर्ष, निवासी– पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड क्रमांक 19, होटल सूरी इंटरनेशनल के पास, जगदलपुर जिला–बस्तर छत्तीसगढ़।

**---याचिकाकर्ता(गण)**

**विरुद्ध**

1–छत्तीसगढ़ राज्य ,द्वाराः सचिव, गृह विभाग महानदी भवन, रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

2– पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़.

3–कलेक्टर जिला–कांकेर (छ.ग.)।

4–अनुविभागीय दण्डाधिकारी भानुप्रतापपुर, जिला–कांकेर छत्तीसगढ़

5–तहसीलदार भानुप्रतापपुर, जिला–कांकेर (छ.ग.)

6–तहसीलदार अंतागढ़ जिला–कांकेर (छ.ग.)

7– देवेन्द्र टेकाम सदस्य जिला पंचायत, कांकेर, जिला–कांकेर (छ.ग.)

8– अध्यक्ष/सरपंच ग्राम पंचायत–जुनवानी, जिला कांकेर (छ.ग.)

9– अध्यक्ष/सरपंच ग्राम पंचायत–कुडाल, जिला–कांकेर (छ.ग.)

10– अध्यक्ष/सरपंच ग्राम पंचायत–जनकपुर, जिला–कांकेर (छ.ग.)

11– अध्यक्ष/सरपंच ग्राम पंचायत–हाहेचुर, जिला–कांकेर (छ.ग.)

12– अध्यक्ष/सरपंच ग्राम पंचायत–घोटिया, जिला–कांकेर (छ.ग.)

**--- उत्तरवादीगण**

**(वाद– शीर्षक वाद सूचना प्रणाली से लिया गया है)**

| | |
|---|---|
| याचिकाकर्ता(गण) की ओर से | : डॉ. अर्पित लाल एवं श्री आयुष लाल, अधिवक्ता। |
| उत्तरवादी क्रमांक 1 से 6 की ओर से | : श्री वाई.एस. ठाकुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता |
| उत्तरवादी क्रमांक 7 की ओर से | : श्री हर्षल चौहान, अधिवक्ता। |
| उत्तरवादी क्रमांक 8 की ओर से | : श्री पलाश तिवारी, अधिवक्ता। |
| उत्तरवादी क्रमांक 9 की ओर से | : श्री अनुपम दुबे, अधिवक्ता। |
| उत्तरवादी क्रमांक 10 की ओर से | : श्री बी. गोपा कुमार (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) एवं श्री हिमांशु पाण्डेय, अधिवक्तागण |
| उत्तरवादी क्रमांक 11 की ओर से | : श्री महेश कुमार मिश्रा, अधिवक्ता। |
| उत्तरवादी क्रमांक 12 की ओर से | : श्री वैभव पी. शुक्ला, श्री जय सिंह, अधिवक्तागण |

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री बिभु दत्त गुरु**

**बोर्ड पर आदेश**

**द्वारा रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधिपति**

28/10/2025

**1.** श्री किशोर नारायण, डॉ. अर्पित लाल एवं श्री आयुष लाल, संबंधित याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता, श्री वाई.एस. ठाकुर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, साथ ही श्री संघर्ष पाण्डेय, श्री अनुपम दुबे, श्री बी. गोपा कुमार (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से), श्री हिमांशु पाण्डेय, श्री पलाश तिवारी, श्री रोहित शर्मा, श्री हर्षल चौहान, श्री महेश कुमार मिश्रा, श्री वैभव पी. शुक्ला, श्री विवेक कुमार अग्रवाल, श्री जय सिंह, संबंधित उत्तरवादीगण के अधिवक्तागण को सुना।

**2.** याचिकाकर्ता ने रिट याचिका(जनहित) क्रमांक 83/2025 में निम्नलिखित अनुतोष की प्रार्थना की है:

> "(i) प्रकरण के सुसंगत अभिलेख मंगवाएँ।
>
> (ii) घोषित करें कि इस याचिका के कण्डिका 8.2 में वर्णित गाँव में लगाए गए होर्डिंग्स असंवैधानिक, अवैध हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 और 19(1)(घ) के अधीन गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

(iii) उत्तरवादीगण को उपर्युक्त अवैध होर्डिंग्स हटाने का निर्देश दे।

(iv) उत्तरवादी प्राधिकारियों, विशेष रूप से कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक, जिला कांकेर को निर्देश दे कि वे उन गाँवों का दौरा करें जहाँ उपर्युक्त होर्डिंग्स लगाए गए हैं और विभिन्न समुदायों के मध्य शांति और सद्भावना बहाल करने के प्रयोजन से ग्रामीणों/हितधारकों के साथ एक बैठक आयोजित करें ताकि कांकेर जिले में ईसाइयों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सके।

(v) कोई अन्य आदेश जिसे यह माननीय न्यायालय वर्तमान प्रकरण के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत हुए उचित एवं न्यायसंगत समझे पारित करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**3.** याचिकाकर्ता ने रिट याचिका(जनहित) क्रमांक 86/2025 में निम्नलिखित अनुतोष की प्रार्थना की है:

"10.1 यह कि, यह माननीय न्यायालय कृपया परमादेश के रूप में रिट जारी करने की कृपा करे, जिसमें उत्तरवादी अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वे उपरोक्त सभी गाँवों से नोटिस बोर्ड हटा दें और नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(घ) के अनुसार स्वतंत्र रूप से विचरण की अनुमति प्रदान करें।

10.2 यह कि, यह माननीय न्यायालय कृपया पुलिस को निर्देश दे कि वह गाँवों में रहने वाले ईसाई पादरियों और लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करे।

10.3 यह कि, उत्तरवादी अधिकारियों द्वारा याचिका का व्यय भी याचिकाकर्ता को दिया जाए।

10.4 याचिकाकर्ता को कोई अन्य अनुतोष भी जिसे यह माननीय न्यायालय प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उचित समझे प्रदान करें।"

**4.** चूँकि उपरोक्त दोनों जनहित याचिकाओं में समान विवाद्यक अन्तर्वलित हैं, अतः उन पर इस एक ही आदेश द्वारा विचार और निर्णय किया जा रहा है। रिट याचिका(जनहित) क्रमांक 83/2025 को मुख्य प्रकरण माना गया है।

**5.** याचिकाकर्ता ईसाई समुदाय और उनके धार्मिक नेताओं को मुख्यधारा के ग्रामीण समुदाय से अलग–थलग करने का मुद्दा उठा रहे हैं। उत्तरवादी अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक प्रस्ताव का प्रारूप प्रसारित किया है, जिसमें उत्तरवादी अधिकारी पंचायत विभाग के माध्यम से जिला पंचायत और जनपद पंचायत और अंततः ग्राम पंचायत को "हमारी परंपरा हमारी विरासत" नाम और शैली में प्रस्ताव/शपथ पारित करने का निर्देश दे रहे हैं। याचिकाकर्तागण के अनुसार, ग्राम पंचायत को यह परिपत्र प्रसारित करने का वास्तविक प्रयोजन उन्हें गाँव में ईसाई पादरियों और तथाकथित 'धर्मांतरित ईसाइयों' के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रस्ताव पारित करने का निर्देश देना है। कांकेर जिले के कम से कम 8 गाँवों ने ऐसे होर्डिंग लगाए हैं जिन पर लिखा है कि गाँव में पादरियों और तथाकथित 'धर्मांतरित ईसाइयों' का प्रवेश वर्जित है। इन होर्डिंगों ने ईसाई अल्पसंख्यकों में भय की भावना उत्पन्न कर दी है। किसी भी अप्रिय घटना और हिंसा की आशंका के चलते, ये लोग उस गाँव में प्रवेश नहीं कर रहे हैं जहाँ वे समान्यतः पर जाया करते थे। होर्डिंग्स ने एक तरह से ईसाई धर्म से जुड़े ग्रामीणों के विवेक और स्वतंत्र आवागमन के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**6.** संक्षिप्त में, याचिकाकर्ता ने इन याचिकाओं के माध्यम से धर्म की स्वतंत्रता और किसी व्यक्ति की पसंद के किसी विशेष धर्म को मानने और उसका आचरण करने से संबंधित मुद्दा उठाया है। यह मुद्दा भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 1(घ) के अधीन प्रदत्त पूरे भारत में नागरिकों की आवाजाही की स्वतंत्रता के उल्लंघन से भी जुड़ा है।

**7.** ग्राम पंचायत घोटिया, तहसील भानुप्रतापपुर, जिला कांकेर ने एक होर्डिंग लगाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका गाँव 5 वीं अनुसूची क्षेत्र के अधीन आता है और पंचायत उपबंध(अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (संक्षिप्त में, पेसा अधिनियम) गाँव में लागू होते हैं और धारा 4(घ) के अनुसार, ग्राम सभा गाँव की पहचान और संस्कृति का संरक्षण करने के लिए सक्षम है। आगे कहा गया है कि आदिवासियों को बहकाकर धर्मांतरित किया जा रहा है और उनकी संस्कृति को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। इसलिए, ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर, अन्य गाँवों के पादरियों और धर्मांतरित व्यक्तियों को धार्मिक कार्यक्रम या धर्मांतरण के लिए गाँव में प्रवेश करने पर रोक लगाया जाता है। इसी प्रकार के होर्डिंग अन्य गाँवों में भी लगाए गए हैं। याचिकाकर्तागण की जानकारी के अनुसार, कुडाल, पारवी, जुनवानी, घोटा, घोटिया, हवेचुर, मुसुरपुट्टा और सुलंगी गाँवों में भी इसी प्रकार के होर्डिंग लगाए गए हैं।

**8.** याचिकाकर्तागण के अनुसार, उन्हें युक्तियुक्त आशंका है कि उपर्युक्त होर्डिंग्स शासकीय अधिकारियों के इशारे पर लगाए जा रहे हैं। यह आशंका संचालक पंचायत द्वारा दिनाँक 14.08.2025 को जारी एक परिपत्र से उद्भूत हुई है। इस परिपत्र के अनुसार, जिन जिलों में पेसा अधिनियम लागू है, वहाँ के जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को एक प्रस्ताव/शपथ प्रसारित करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है जिसमें कहा गया हो कि ग्राम सभा के सदस्य जल, जंगल, ज़मीन के संरक्षण करने की शपथ लेते हैं। इस शपथ में संस्कृति, लोकगीत, त्योहारों, पूजा पद्धति और आस्था का संरक्षण करना भी शामिल है। यद्यपि यह परिपत्र दिनाँक 14.08.2025 का है, किंतु इससे पूर्व भी, सत्ताधारी दल के कुछ सदस्यों ने आदिवासी ग्रामीणों को इस प्रकार के होर्डिंग्स लगाने के लिए उकसाया है। उन्होंने ग्रामीणों को ईसाई समुदाय के सदस्यों के विरुद्ध धार्मिक घृणा फैलाने के लिए पेसा अधिनियम के प्रावधानों का दुरुपयोग करने के लिए उकसाया है। दिनाँक 11.08.2025 को याचिकाकर्ता ने अन्य लोगों के साथ जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अनुविभागीय अधिकारी, कांकेर को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें कहा गया कि बोर्ड और होर्डिंग संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। हवेचुर गाँव में भी इसी प्रकार का एक होर्डिंग लगाया गया है। हवेचुर गाँव के निवासियों ने याचिकाकर्ता को सूचित किया है कि उन्हें ग्राम सभा के आयोजन की कोई जानकारी नहीं है, जिसके अधीन पादरियों और तथाकथित 'धर्मांतरित ईसाइयों' के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए होर्डिंग लगाया गया था। हवेचुर में ग्राम सभा के लिए कोई मुनादी नहीं की गई थी। इस बात की प्रबल संभावना है कि गाँव के कुछ लोगों ने ही यह प्रस्ताव पारित किया होगा। याचिकाकर्ता को बताया गया कि हवेचुर गाँव के निवासियों को इस प्रस्ताव के अस्तित्व की कोई जानकारी नहीं है। यदि ऐसा कोई प्रस्ताव मौजूद है, तो वह प्रस्ताव आवश्यक गणपूर्ति या उचित प्रक्रिया के साथ पारित नहीं किया गया था जो विधि, विशेष रूप से पंचायत राज अधिनियम, 1993 (संक्षिप्त में, 1993 का अधिनियम), पेसा अधिनियम और पेसा नियमों के अधीन निर्धारित है। याचिकाकर्ता ने ग्राम पंचायत के ग्राम सभा प्रस्तावों की प्रति प्राप्त करने का भी प्रयत्न किया, जब उसे प्रस्तावों की प्रति देने से इनकार कर दिया गया, तो उसने दिनाँक 27.08.2025 को जिला पंचायत, कांकेर में सूचना के अधिकार के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया। ग्राम सभा के प्रस्ताव या होर्डिंग्स में कहा गया है कि वे पेसा अधिनियम के प्रावधानों पर आधारित हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**9.** श्री किशोर नारायण, डॉ. अर्पित लाल और श्री आयुष लाल, विद्वान अधिवक्तागण संबंधित याचिकाकर्तागण की ओर से प्रस्तुत होते हुए, तर्क करते हैं कि उक्त प्रस्ताव और होर्डिंग्स छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार) नियम 2022 (संक्षिप्त में, पेसा नियम 2022) के विपरीत हैं। पेसा नियमों के नियम 40(क) में कहा गया है कि ग्राम सभा शांति और ग्राम व्यवस्था बनाए रखने के लिए सक्षम है, लेकिन यह संविधान और विधि के प्रावधानों के अधीन है। इसका अर्थ है कि ग्राम सभा ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती जो संविधान और विधि के विरुद्ध हो। ग्राम सभा के प्रस्ताव और

ग्राम होर्डिंग्स, जो पादरियों और तथाकथित 'धर्मांतरित ईसाइयों' के प्रवेश को प्रतिबंधित करते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 भारत के नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार की गारंटी देता है। इस अधिकार को केवल तीन प्रतिबंधों से सीमित किया जा सकता है: (i) लोक व्यवस्था, (ii) सदाचार और (iii) स्वास्थ्य। वर्तमान प्रकरण में, ये प्रतिबंध किसी भी व्यक्ति को गाँव में अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से आचरण करने से रोकने के लिए उपलब्ध नहीं हैं और न ही किसी ईसाई या पादरी को अपने गाँव में बुलाने के लिए।

**10.** याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि होर्डिंग्स और ग्राम सभा के प्रस्ताव नागरिकों के भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से विचरण करने के अधिकार का भी उल्लंघन करते हैं। यह अधिकार सामान्य नागरिकों के हित या अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा के अधीन है। ये आधार वर्तमान प्रकरण में उपलब्ध नहीं हैं। पादरियों या धर्मांतरित ईसाइयों के प्रवेश का गाँव की अनुसूचित जनजातियों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। कई मामलों में पादरी और धर्मांतरित ईसाई स्वयं भी आदिवासी हैं। यह स्थापित विधि है कि अनुसूचित जनजाति के प्रकरण में ईसाई धर्म अपनाने से किसी आदिवासी का अनुसूचित जनजाति का दर्जा समाप्त नहीं होता है। इसी प्रकार का एक प्रस्ताव पूर्व में बस्तर जिले के सिरिसगुड़ा गाँव में दिनाँक 10.05.2014 को पारित किया गया था। उक्त प्रस्ताव को रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1759/2014, छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम व अन्य विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य में चुनौती दी गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित कर आक्षेपित प्रस्ताव के प्रभाव और संचालन पर रोक लगा दी थी। रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान प्रस्ताव वापस ले लिया गया था, इसलिए अंततः याचिका को निष्फल होने के कारण खारिज कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**11.** श्री लाल ने आगे तर्क दिया कि गाँव के स्थानीय लोग ईसाई समुदाय के सभी लोगों को रोक रहे हैं, यहाँ तक कि उन गाँवों के निवासियों को भी गाँवों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। जब ईसाई पादरी बिना किसी धर्मांतरण के आशय से अपने परिवार और मित्रों से मिलने के लिए गाँवों में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, तो स्थानीय लोगों द्वारा उनकी बुरी तरह पिटाई की जाती है और उनके घर भी तोड़ दिए जाते हैं। याचिकाकर्ता नरेंद्र भवानी ने कलेक्टर, कांकेर और अनु–विभागीय मजिस्ट्रेट, भानुप्रतापपुर, तहसीलदार भानुप्रतापपुर और तहसीलदार अंतागढ़, जिला कांकेर के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन दिया है। पेसा अधिनियम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य ग्राम सभा को सशक्त बनाना और अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन प्रदान करना है। पेसा अधिनियम ग्राम सभा को कुछ विशेषाधिकार प्रदान करता है जैसे प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, सामाजिक और आर्थिक विकास योजनाओं को मंजूरी देना और ग्राम

विकास योजनाओं को लागू करना। पेसा अधिनियम में गाँवों के प्रवेश और निकास पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। पेसा अधिनियम ग्राम सभा को अपने पारंपरिक रीति–रिवाजों और प्रथाओं के अनुसार निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है। किंतु यह शक्ति किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती जो न केवल गलत और अवैध हो, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के भी विपरीत हो।

**12.** दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री वाई.एस.ठाकुर ने तर्क दिया कि याचिकाकर्तागण ने ये जनहित याचिकाएँ केवल इस आशंका के आधार पर प्रस्तुत की हैं कि ये होर्डिंग्स शासकीय अधिकारियों के इशारे पर लगाए जा रहे हैं। ये याचिकाएँ इस आधार पर तुरंत खारिज किए जाने योग्य हैं कि ये केवल आशंका के आधार पर प्रस्तुत की गई हैं। संचालक, पंचायत संचालनालय इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर द्वारा दिनांक 14.08.2025 को जारी परिपत्र और मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बस्तर द्वारा दिनांक 14.08.2025 को जारी ज्ञापन सरल परिशीलन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त परिपत्र कहीं भी न तो होर्डिंग लगाने का निर्देश देता है और न ही ग्रामीणों को ईसाई समुदाय के सदस्यों और धर्मांतरित ईसाइयों के विरुद्ध धार्मिक घृणा फैलाने के लिए उकसाता है। दूसरी ओर, उक्त परिपत्र केवल अनुसूचित जनजाति समुदाय की पारंपरिक संस्कृति और विरासत के संरक्षण के प्रयोजन से जारी किया गया है। अनुलग्नक–पी–2, जो कि दिनांक 14.08.2025 का पत्र है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर द्वारा जारी किया गया है, जबकि वर्तमान प्रकरण जिला कांकेर से संबंधित है। उक्त परिपत्र और पत्र दिनांक 14.08.2025 का आशय केवल अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत आदिवासी समुदाय की पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत, लोकगीतों, त्योहारों और पूजा पद्धतियों का संरक्षण करना है। परिपत्र के साथ संलग्न शपथ में कहा गया है कि शपथ का प्रयोजन केवल पूर्वजों की पारंपरिक विरासत का संरक्षण करना है। शपथ में यह स्पष्ट किया गया है कि इसका उद्देश्य केवल वन, जल और भूमि का संतुलन बनाए रखना और प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करना, नियमित ग्राम सभा आयोजित करने की सदियों प्राचीन परंपरा का पालन करना, सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना और उन्हें सशक्त बनाना, आदिवासी नायकों, योद्धाओं और सामाजिक सुधारों की विरासत का सम्मान करना और उनके विचारों का अनुसरण करना है। उक्त शपथ के माध्यम से यह कहा गया है कि सांस्कृतिक विरासत को न केवल संरक्षित किया जाना चाहिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी गर्व के साथ हस्तांतरित किया जाना चाहिए। अतः, याचिकाकर्तागण का यह आरोप और आशंका कि ये होर्डिंग शासकीय प्राधिकारी के इशारे पर लगाए गए हैं, अनुचित है और इसका कोई ठोस आधार नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**13.** श्री ठाकुर ने आगे तर्क दिया कि 2022 के पेसा नियम को 1993 के अधिनियम की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियमित किया गया है, जिसे 1993 के अधिनियम की धारा 129 क से 129 च के साथ पढ़ा जाए। 1993 के अधिनियम की धारा 129 च, अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में जिला पंचायत और जनपद पंचायत को लघु जल निकायों की योजना बनाने, उनका स्वामित्व और प्रबंधन करने और उन्हें हस्तांतरित सभी सामाजिक क्षेत्रों में संस्थाओं और पदाधिकारियों पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान करती है। 1993 के अधिनियम की धारा 129 च, जिला और जनपद पंचायत को स्थानीय योजनाओं, संसाधनों और आदिवासी उप–योजनाओं सहित ऐसी योजना के लिए व्यय पर नियंत्रण रखने और ऐसी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग और निष्पादन करने की शक्ति प्रदान करती है जो राज्य सरकार किसी भी विधि के अधीन प्रदान या हितबद्ध कर सकती है। सादर निवेदन है कि दिनांक 14.08.2025 का परिपत्र और ज्ञापन संचालक, पंचायत निदेशालय और मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बस्तर द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है। 1993 के अधिनियम की धारा 129 क से 129 च के अधीन। 1993 के अधिनियम की धारा 129 क से 129 च के अध्याय–14–क के अधीन आती है जो अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**14.** दिनांक 14.08.2025 का उक्त परिपत्र और ज्ञापन पंचायत राज अधिनियम, 1993 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए और साथ ही पेसा नियम, 2022 के प्रावधानों के अनुपालन में जारी किया गया है। उक्त नियम, दिनांक 08.08.2022 की अधिसूचना द्वारा असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। नियम, 2022 के नियम 6 में विशेष रूप से प्रावधान है कि अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा को अधिनियम, 1993 की धारा 7 और 129(ग) के अनुसार शक्तियाँ प्राप्त होंगी और इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियम और राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए सामान्य या विशेष आदेश के अधीन, ग्राम सभा के पास नियम, 2022 के नियम 6 के उप–नियम (4) के अनुसार निम्नलिखित शक्तियाँ और कार्य हैं, जिनमें प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण के संरक्षण, पर्यवेक्षण में वृद्धि और पर्यावरण संरक्षण की शक्तियाँ शामिल हैं। नियम 6 के उप–नियम 10 के अधीन, ग्राम सभा को स्थानीय सांस्कृतिक विरासत, जैसे देवी–देवताओं के स्थान, पूजा पद्धतियाँ, संस्थाएँ (जैसे गोटुल, धुमकुड़िया) और मानवतावादी सामाजिक प्रथाओं को किसी भी प्रकार के विनाशकारी व्यवहार से बचाने का अधिकार भी है। नियम 6 के उप–नियम (11) में प्रावधान है कि ग्राम सभा पारंपरिक ज्ञान और जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन के लिए योजना बना सकती है, उनके सतत और टिकाऊ उपयोग को ध्यान में रखते हुए। नियम 6 के उप–नियम (9) में आगे प्रावधान है कि ग्राम सभा अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण को रोक सकती है और किसी भी अनुसूचित जनजाति की

भूमि के हस्तांतरण को रोक सकती है और ऐसी रोकथाम के लिए उचित कार्रवाई करने की सलाह दे सकती है।

**15.** श्री ठाकुर ने आगे तर्क किया कि नियम 2022 के नियम 6 का उपनियम 10 विशेष रूप से ग्राम सभा को स्थानीय सांस्कृतिक विरासत जैसे देवी–देवताओं के स्थान, पूजा पद्धतियाँ, संस्थाएँ (जैसे गोटुल, धुमकुड़िया) और मानवतावादी सामाजिक प्रथाओं को किसी भी प्रकार के विनाशकारी व्यवहार से बचाने का अधिकार देता है। याचिका में लगाए गए होर्डिंग्स का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि ये होर्डिंग्स पेसा अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाए गए हैं, जिसके अधीन ग्राम सभा अपनी सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक संस्कृति की रक्षा कर सकती है। उक्त होर्डिंग्स में उल्लेख किया गया है कि गाँव में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों को बहला–फुसलाकर अवैध रूप से धर्मांतरित किया जा रहा है और इस प्रकार उक्त गाँवों की स्थानीय सांस्कृतिक विरासत और आदिवासी संस्कृति को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, जो कि नियम 2022 के नियम 6, विशेष रूप से नियम 6 के उप–नियम 10 का पूर्ण उल्लंघन है, जो विशेष रूप से यह प्रावधान करता है कि ग्राम सभा को अपनी स्थानीय सांस्कृतिक विरासत को किसी भी प्रकार के विनाशकारी व्यवहार से बचाने का अधिकार है। संबंधित ग्राम सभा द्वारा लगाए गए होर्डिंग्स केवल अन्य गाँवों के ईसाई धर्म के उन पादरियों को प्रतिबंधित करने के सीमित उद्देश्य से हैं जो आदिवासी लोगों के अवैध धर्मांतरण के उद्देश्य से गाँव में प्रवेश कर रहे हैं और इस प्रकार अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों की विरासत को खतरे में डालते हुए स्थानीय संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। ये होर्डिंग्स संबंधित ग्राम सभा द्वारा स्वदेशी जनजातीय लोगों और स्थानीय सांस्कृतिक विरासत के हितों की रक्षा के लिए एहतियाती उपाय के रूप में लगाए गए हैं, जो 2022 के पेसा अधिनियम और नियमों के साथ–साथ 1993 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**16.** श्री ठाकुर ने आगे तर्क किया है कि ये याचिकाएँ विचारणीय नहीं हैं क्योंकि याचिकाकर्तागण ने नियम, 2022 के अधीन प्रदान किए गए वैधानिक प्रभावी वैकल्पिक उपचार का लाभ उठाए बिना सीधे इस माननीय न्यायालय की शरण ली है। नियम 14 में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति या शासकीय विभाग ग्राम सभा के निर्णय से प्रभावित होता है, तो वह ग्राम सभा में अपील कर सकता है और ग्राम सभा 30 दिनों के भीतर ग्राम सभा की बैठक में पुनर्विचार कर सकती है। नियम 14 के उपनियम (2) में आगे प्रावधान है कि यदि ग्राम सभा पुनर्विचार नहीं करती है या यदि कोई व्यक्ति ग्राम सभा के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह उप–मंडलाधिकारी (राजस्व) के समक्ष अपील कर सकता है। याचिकाकर्तागण के पास वैधानिक रूप से प्रभावी वैकल्पिक उपचार है कि वे पहले ग्राम सभा से उसके निर्णय पर पुनर्विचार के लिए संपर्क करें और उसके बाद यदि वह व्यक्ति ग्राम सभा के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह उप–मंडलाधिकारी (राजस्व) के समक्ष अपील कर सकता है, किंतु याचिकाकर्तागण ने उपाय का उपयोग किए

बिना ही ये याचिकाएँ जनहित के रूप में प्रस्तुत की हैं और इसलिए ये सुनवाई योग्य नहीं हैं और इस प्रकार खारिज किए जाने योग्य हैं।

**17.** नियम, 2022 का नियम 40 ग्राम सभा को अपने क्षेत्र में लोक शांति और सौहार्द बनाए रखने का अधिकार देता है, साथ ही समुदाय की परंपरा, संवैधानिक विधियों की भावना और संबंधित नियमों को भी ध्यान में रखता है। ग्राम सभा की कार्रवाई गाँव में उनकी परंपरा और सांस्कृतिक विरासत के सम्मान में लोक शांति और सौहार्द बनाए रखने की दिशा में एक कदम है। पूरा कांकेर जिला अनुसूचित क्षेत्र में आता है। इसलिए, संबंधित गाँवों में पेसा अधिनियम, पेसा नियम 2022 और 1993 के अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। यह भी तर्क दिया गया है कि बस्तर संभाग के गाँव में पहले भी धर्मांतरित ईसाई और स्थानीय आदिवासियों के मध्य विवाद हुए हैं, जिससे विधि–व्यवस्था की स्थिति पैदा हुई है और कई प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करनी पड़ी हैं। वर्ष 2023 में, आदिवासियों के अवैध धर्मांतरण और आदिवासी संस्कृति एवं विरासत को खतरे में डालने के मुद्दे पर जिला नारायणपुर में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी और जिसमें जिले के पुलिस अधीक्षक को भी उक्त विधिविरुद्ध गतिविधियों और विधि व्यवस्था की स्थिति में गंभीर चोटें आई थीं और उस दौरान विभिन्न समाचार प्रकाशित हुए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**18.** श्री ठाकुर ने आगे तर्क कि पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य में अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए एक विधि बनाया गया था, जिसका नाम मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 1968 (संक्षिप्त में, 1968 का अधिनियम) है, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य ने भी अपनाया है। उक्त अधिनियम बल प्रयोग, प्रलोभन या कपटपूर्ण तरीकों से और उससे संबंधित किसी भी धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण के निषेध के लिए अधिनियमित किया गया था। धारा 3 बलपूर्वक धर्मांतरण के निषेध से संबंधित है, जिसमें बल प्रयोग, प्रलोभन या किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से धर्मांतरण शामिल है। अधिनियम, 1968 की धारा 3 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अन्यथा, एक धार्मिक आस्था से दूसरी धार्मिक आस्था में, बल प्रयोग, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण तरीके से, परिवर्तित नहीं करेगा या परिवर्तित करने का प्रयास नहीं करेगा, न ही कोई व्यक्ति ऐसे किसी धर्मांतरण के लिए उकसाएगा। अनुलग्नक–पी–1 में संलग्न होर्डिंग्स के सरल परिशीलन से दर्शित होता है कि गाँवों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों को बलपूर्वक धर्म परिवर्तन के लिए लुभाया जा रहा है। होर्डिंग्स में जो घोषित किया गया है वह पहले से ही विधि/अधिनियम, 1968 के अधीन आता है। संवैधानिक विधि के अनुरूप होर्डिंग्स लगाना भारत के संविधान के अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं करता है। नियम, 1968 की संवैधानिकता को भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष रेव. स्टैनिस्लॉस विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य व अन्य [(1977) 1 एससीसी 677] में प्रकाशित प्रकरण में इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि उक्त अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के अधीन

अधिकारों का उल्लंघन करता है। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने अधिनियम, 1968 की संवैधानिकता को बरकरार रखा था। उक्त प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों के दृष्टिगत, प्रलोभन, धोखाधड़ी या बल द्वारा बलपूर्वक धर्मांतरण को रोकने के लिए होर्डिंग लगाना असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 प्रतिबंधित है या पूर्ण नहीं है और मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध हैं। भारत के संविधान के अधीन गारंटीकृत अधिकार उचित प्रतिबंध के अधीन हैं और इनका प्रयोग अन्य संवैधानिक रूप से निर्मित विधियों के अनुसार किया जाना चाहिए।

**19.** श्री संघर्ष पाण्डेय, श्री अनुपम दुबे, श्री बी. गोपा कुमार (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से), श्री हिमांशु पाण्डेय, श्री पलाश तिवारी, श्री रोहित शर्मा, श्री हर्षल चौहान, श्री महेश कुमार मिश्रा, श्री वैभव पी. शुक्ला, श्री विवेक कुमार अग्रवाल, श्री जय सिंह, संबंधित उत्तरवादीगण/ग्राम पंचायतों के अधिवक्तागण ने भी राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के समान ही तर्क दिए हैं। वे इस याचिका का इस आधार पर भी विरोध करते हैं कि वैकल्पिक उपचार उपलब्ध हैं और उत्तरवादी/ग्राम पंचायत की कार्रवाई विधि के दायरे में है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**20.** उत्तरवादी क्रमांक 7 व 8 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री संघर्ष पाण्डेय ने {रिट याचिका जनहित क्रमांक 83/2025 में} अनुलग्नक आर/1 की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, जो कुडाल, भानबेड़ा गाँव के ग्रामीणों द्वारा अनु–विभागीय अधिकारी (राजस्व) को प्रस्तुत एक अभ्यावेदन है, जिसमें आदिवासी ग्रामीणों ने ईसाई समुदाय के लोगों के विरुद्ध शिकायत की है कि वे ग्रामीणों को उनकी बीमारी ठीक करने के बहाने बहका रहे हैं और उन्हें अवैध रूप से ईसाई धर्म में परिवर्तित कर रहे हैं। नियम 2022 के नियम 6 उप–नियम 10 का संदर्भ दिया गया है, जिसमें प्रावधान है कि ग्राम सभा को सांस्कृतिक विरासत जैसे देवी–देवताओं के पूजा स्थल, पूजा–अर्चना आदि की रक्षा करने और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार होगा।

**21.** {रिट याचिका (जनहित) क्रमांक 86/2025 में}उत्तरवादी क्रमांक 7 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हर्षल चौहान ने उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय में निष्पक्षता से आवेदन नहीं किया है। याचिकाकर्ता ने कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया है कि वह छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के नगर अध्यक्ष के पद पर हैं और राज्य सरकार के विरुद्ध ग्रामीणों के विधिविरुद्ध आंदोलन को लामबंद करने और भड़काने की राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं और पूर्व में उनके विरुद्ध 6 प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज की जा चुकी हैं।

22. हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण को सुना है, अभिवचनों तथा संलग्न दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

23. संक्षिप्त में, याचिकाकर्तागण की शिकायत यह है कि वे ईसाई समुदाय से हैं और आदिवासी क्षेत्रों के कुछ लोग उन्हें गाँवों में प्रवेश करने से रोक रहे हैं क्योंकि उन्हें भय है कि ईसाई समुदाय के लोग अन्य निवासियों को बहकाकर उन्हें अपने धर्म में परिवर्तित कर लेंगे जिससे उनकी प्राचीन संस्कृति और विरासत नष्ट हो जाएगी। याचिकाकर्तागण की मुख्य शिकायत यह है कि उसी गाँव के स्थानीय निवासियों को भी केवल इस आधार पर उनके गाँव में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है कि वे ईसाई धर्म का आचरण करते हैं और वे उक्त धर्म के प्रचार–प्रसार में शामिल नहीं हैं।।

24. भारत के सामाजिक–राजनीतिक परिदृश्य में धर्मांतरण लंबे समय से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। धर्मांतरण के विभिन्न रूपों में, कथित तौर पर ईसाई मिशनरियों द्वारा गरीब और अशिक्षित आदिवासी और ग्रामीण आबादी के बीच किए गए धर्मांतरण ने विशेष रूप से विवाद उत्पन्न किया है। हालाँकि संविधान प्रत्येक नागरिक को धर्म को मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का बलपूर्वक, प्रलोभन या धोखे से दुरुपयोग गंभीर चिंता का विषय बन गया है। सामूहिक या प्रेरित धर्मांतरण की घटना न केवल सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ती है, बल्कि स्वदेशी समुदायों की सांस्कृतिक पहचान को भी चुनौती देती है। भारत में मिशनरी गतिविधियाँ औपनिवेशिक काल से चली आ रही हैं, जब ईसाई संगठनों ने विद्यालय, अस्पताल और कल्याणकारी संस्थान स्थापित किए थे। प्रारंभ में, ये प्रयास सामाजिक उत्थान, साक्षरता और स्वास्थ्य सेवा पर केंद्रित थे। हालाँकि, समय के साथ, कुछ मिशनरी समूहों ने इन मंचों का उपयोग धर्मांतरण के माध्यम के रूप में करना प्रारंभ कर दिया। आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों में, इसके कारण धीरे–धीरे बेहतर आजीविका, शिक्षा या समानता के वादे के अधीन धर्म परिवर्तन हुआ। जिसे कभी सेवा माना जाता था, वह कई मामलों में धार्मिक विस्तार का एक सूक्ष्म साधन बन गया। यह संकट तब उत्पन्न होता है जब धर्म परिवर्तन व्यक्तिगत आस्था का विषय न रहकर प्रलोभन, छल–कपट या भेद्यता के शोषण का परिणाम बन जाता है। दूरदराज के आदिवासी इलाकों में, मिशनरियों पर प्रायः निरक्षर और गरीब परिवारों को निशाना बनाने और धर्म परिवर्तन के बदले उन्हें आर्थिक सहायता, मुफ्त शिक्षा, चिकित्सा देखभाल या रोजगार देने का आरोप लगाया जाता है। ऐसी प्रथाएँ स्वैच्छिक आस्था की भावना को विकृत करती हैं और सांस्कृतिक दबाव के समान हैं। इस प्रक्रिया ने आदिवासी समुदायों के भीतर गहरे सामाजिक विभाजन को भी जन्म दिया है। ईसाई धर्म में परिवर्तित आदिवासी अक्सर नई सांस्कृतिक प्रथाओं को अपनाते हैं, पारंपरिक रीति–रिवाजों और सांप्रदायिक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

त्योहारों से स्वयं को दूर कर लेते हैं। परिणामस्वरूप, गाँव ध्रुवीकृत हो जाते हैं, जिससे तनाव, सामाजिक बहिष्कार और कभी–कभी हिंसक झड़पें भी होती हैं।

**25.** यह निर्विवाद है कि आक्षेपित होर्डिंग्स संबंधित ग्राम सभाओं द्वारा लगाए गए थे जो पेसा ढांचे के अधीन शक्तियों का प्रयोग कर रही थीं। राज्य का दिनांक 14.08.2025 का परिपत्र मुख्य रूप से ग्राम सभाओं से अपनी पारंपरिक संस्कृति और सामाजिक लोकाचार को संरक्षित करने का आह्वान करता है। ऐसा कोई भी प्रमाण अभिलेख में नहीं रखा गया है जिससे यह संकेत मिले कि परिपत्र किसी भी धार्मिक समूह के विरुद्ध भेदभाव को अधिकृत करता है। ग्राम सभा पेसा अधिनियम के अधीन एक संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त निकाय है और उसे सामुदायिक संसाधनों के प्रबंधन और आदिवासी परंपराओं के संरक्षण के लिए विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।यद्यपि, ये शक्तियाँ भारत के संविधान की सीमाओं के भीतर ही कार्य करेंगी। संविधान के अनुच्छेद 25 के अधीन "धर्म के प्रचार का अधिकार" की अभिव्यक्ति, जैसा कि **रेव. स्टैनिस्लॉस** (पूर्वोक्त) में व्याख्या की गई है, किसी अन्य व्यक्ति को प्रलोभन, बल या कपटपूर्ण तरीकों से धर्मांतरित करने तक विस्तारित नहीं होती है। 1968 का अधिनियम ऐसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता है। इसलिए, अवैध धर्मांतरण गतिविधियों को रोकने के प्रयोजन से लगाए गए सामान्य चेतावनी होर्डिंग को, स्वयं में, असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**26.** संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, परंतु यह अधिकार पूर्ण नहीं है। यह लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन है। इस अधिकार के संभावित दुरुपयोग को देखते हुए, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों ने धर्मांतरण विरोधी विधि बनाए हैं। ये विधि बल, कपट या प्रलोभन द्वारा धर्मांतरण पर रोक लगाते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **रेव. स्टैनिस्लॉस** (पूर्वोक्त) प्रकरण में ऐसे विधियों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है और फैसला सुनाया है कि अपने धर्म का "प्रचार" करने के अधिकार में किसी अन्य व्यक्ति का धर्मांतरण करने का अधिकार शामिल नहीं है। चुनौती धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक एवं सामाजिक अखंडता की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने में निहित है। कई आदिवासी समूहों के लिए, धर्म उनकी पैतृक परंपराओं और पारिस्थितिक विश्वदृष्टि से जुड़ा हुआ है। धर्मांतरण इस जैविक संबंध को बाधित करता है। आदिवासी आस्थाओं के क्षरण के परिणामस्वरूप अक्सर स्वदेशी भाषाओं, रीति–रिवाजों और प्रथागत विधियों का ह्रास होता है। इसके अतिरिक्त, नव–धर्मांतरित व्यक्तियों को कभी–कभी अपने मौलिक समुदाय से अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है, जिससे सामाजिक अलगाव और विखंडन पैदा होता है। इसके अतिरिक्त, धर्मांतरण राजनीतिक प्रतिनिधित्व को भी प्रभावित कर सकता है। चूँकि कुछ संवैधानिक लाभ, जैसे अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति का दर्जा, धर्म से जुड़े होते हैं, धर्मांतरण जनसांख्यिकीय पैटर्न और राजनीतिक समीकरणों को बदल सकता है, जिससे जटिलता की एक और परत जुड़ जाती है।

भारत का धर्मनिरपेक्ष ताना–बाना सह–अस्तित्व और विविधता के सम्मान पर आधारित है। धर्मांतरण, जब स्वैच्छिक और आध्यात्मिक होता है, तो विवेक का एक वैध प्रयोग होता है। हालाँकि, जब यह दान के रूप में प्रच्छन्न शोषण का एक सुनियोजित कार्य बन जाता है, तो यह आस्था और स्वतंत्रता दोनों को कमजोर करता है। कुछ मिशनरी समूहों द्वारा तथाकथित "प्रलोभन द्वारा धर्मांतरण" केवल एक धार्मिक चिंता नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक खतरा है जो भारत के स्वदेशी समुदायों की एकता और सांस्कृतिक निरंतरता के लिए खतरा है। इसका समाधान असहिष्णुता में नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने में है कि आस्था दृढ़ विश्वास का विषय बनी रहे, न कि मजबूरी का।

**27.** 1993 के अधिनियम का नियम 129 ग ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों को परिभाषित करता है। इसमें कहा गया है कि धारा 7 में निहित शक्तियों और कार्यों के अतिरिक्त, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को लोगों की परंपराओं और रीति–रिवाजों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक संसाधनों की रक्षा और संरक्षण करने और विवाद समाधान के प्रथागत तरीके को अपनाने का अधिकार होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**28.** याचिकाकर्तागण ने उन होर्डिंग्स की तस्वीरें संलग्न की हैं जिन पर ग्राम सभा, घोटिया द्वारा यह संदेश प्रदर्शित किया गया है कि ईसाई धर्म के पादरी और पादरी को गाँव में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया जाता है यदि वे कोई धार्मिक/धर्मांतरण गतिविधियाँ आयोजित करने का इरादा रखते हैं। ईसाई धर्म से संबंधित किसी भी व्यक्ति के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है यदि वे उक्त गाँव के निवासी हैं, इसलिए याचिकाकर्तागण की यह आशंका निराधार है कि उन्हें अपने गाँव में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है। दिनांक 14.08.2025 का परिपत्र कहीं भी होर्डिंग्स लगाने या ग्रामीणों को ईसाई समुदाय के सदस्यों और धर्मांतरित ईसाइयों के विरुद्ध धार्मिक घृणा फैलाने के लिए उकसाने का निर्देश या उकसावा नहीं देता है। यह केवल अनुसूचित जनजाति समुदाय की पारंपरिक संस्कृति और विरासत की रक्षा के उद्देश्य से जारी किया गया है।

**29.** उत्तरवादी/राज्य द्वारा प्रस्तुत जबाव में यह भी कहा गया है कि बस्तर संभाग के एक गाँव में रहने वाले स्थानीय जनजातियों और धर्मांतरित ईसाइयों के मध्य विवाद हुए हैं और जिसके कारण प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करनी पड़ी।

**30.** मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 1968 की संवैधानिक वैधता को माननीय उच्चतम न्यायालय में **रेव. स्टैनिस्लॉस** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में चुनौती दी गई थी, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय की एक संविधान पीठ ने निम्नानुसार अवधारित किया:

"14. हमारे विचारार्थ उठाए गए सामान्य प्रश्न ये हैं: (1) क्या ये दोनों अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 25(1) के अधीन गारंटीकृत मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं, और (2) क्या राज्य विधायिका इन्हें अधिनियमित करने में सक्षम हैं?

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

"25. (1) लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा।"

16. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अपने धर्म का 'प्रचार' करने के अधिकार का अर्थ है किसी व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित करने का अधिकार। इस आधार पर, अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि किसी व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 (1) द्वारा गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. 'प्रचार' शब्द के कई अर्थ हैं, जिनमें 'किसी पौधे, जानवर, बीमारी आदि के नमूनों को मूल स्टॉक से प्राकृतिक प्रजनन की किसी भी प्रक्रिया द्वारा बढ़ाना' शामिल है,, लेकिन स्पष्ट कारणों से, संविधान के अनुच्छेद 25(1) के प्रयोजनों के लिए इसका अर्थ यह नहीं हो सकता। यह अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, और इसलिए 'प्रचार' शब्द का प्रयोग जैविक अर्थ में नहीं किया गया है।

18. शॉर्टर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 'प्रचार' शब्द का अर्थ "एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर, प्रसारित करना, फैलाना (एक कथन, विश्वास, आचरण, आदि)" है।

19. सेंचुरी डिक्शनरी (जो अंग्रेजी भाषा का एक विश्वकोशीय शब्दकोश है) खंड 2 के अनुसार। VI, 'प्रचार' का अर्थ इस प्रकार है: "एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित या फैलाना; आगे

ले जाना; फैलाना; विस्तार करना; जैसे किसी रिपोर्ट का प्रचार करना; ईसाई धर्म का प्रचार करना"।

20. हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनुच्छेद 25 (1) में 'प्रचार' शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया गया है, क्योंकि यह अनुच्छेद किसी अन्य व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित करने का अधिकार नहीं देता, बल्कि अपने धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या करके उसे प्रसारित या फैलाता है। यह स्मरण रखना होगा कि अनुच्छेद 25 (1) प्रत्येक नागरिक को "अंतरात्मा की स्वतंत्रता" की गारंटी देता है, न कि केवल एक विशेष धर्म के अनुयायियों को, और बदले में, यह मानता है कि किसी अन्य व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है क्योंकि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित करता है, जैसा कि उसके अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रसारित या फैलाने के प्रयास से अलग है, तो यह देश के सभी नागरिकों को समान रूप से गारंटीकृत "अंतरात्मा की स्वतंत्रता" पर आघात करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. संविधान के अनुच्छेद 25 के अधीन गारंटी का अर्थ इस न्यायालय में रतिलाल पनाचंद गांधी विरुद्ध बंबई राज्य प्रकरण में विचारार्थ आया और यह इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया:

"इस प्रकार, इस अनुच्छेद द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन, हमारे संविधान के तहत प्रत्येक व्यक्ति को न केवल ऐसे धार्मिक विश्वास रखने का मौलिक अधिकार है जिसे उसका विवेक या निर्णय उचित मानता हो, बल्कि अपने विश्वास और विचारों को ऐसे प्रत्यक्ष कार्यों के माध्यम से प्रदर्शित करने का भी अधिकार है जो उसके धर्म द्वारा निर्धारित या स्वीकृत हों, और इसके अतिरिक्त, दूसरों के प्रबोधन के लिए अपने धार्मिक विचारों का प्रचार करने का भी अधिकार है।"

इस न्यायालय ने अनुच्छेद का सही अर्थ दिया है, और हमें इस विचार का कोई औचित्य नहीं मिलता कि यह मौलिक अधिकार प्रदान करता है कि व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित किया जाए। यह समझना होगा कि अनुच्छेद में निहित धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी केवल एक धर्म के संबंध में ही नहीं है, बल्कि सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होती है, और

इसका उचित आनंद कोई व्यक्ति तभी उठा सकता है जब वह अपने अधिकार का प्रयोग अन्य धर्मों के लोगों की स्वतंत्रता के अनुरूप करे। जो एक व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता है, वही दूसरे के लिए भी समान रूप से स्वतंत्रता है, और इसलिए किसी व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित करने का मौलिक अधिकार जैसी कोई चीज़ नहीं हो सकती।

22. इसके बाद अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों की विधायिकाओं के पास क्रमशः मध्य प्रदेश अधिनियम और उड़ीसा अधिनियम पारित करने की विधायी क्षमता नहीं थी, क्योंकि उनके विधि 'धर्म' को नियंत्रित करते हैं और संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 में अवशिष्ट प्रविष्टि 97 के अधीन आते हैं।

23. इसमें कोई विवाद नहीं है कि मध्य प्रदेश अधिनियम बल प्रयोग या प्रलोभन, या कपटपूर्ण तरीकों से एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन और उससे संबंधित मामलों के निषेध का प्रावधान करता है। "प्रलोभन" और 'कपट' शब्दों को अधिनियम द्वारा परिभाषित किया गया है। अधिनियम की धारा 3 बल प्रयोग, प्रलोभन या कपटपूर्ण तरीकों से धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित करती है और धारा 4 ऐसे बलपूर्वक धर्म परिवर्तन को दंडित करती है। इसी प्रकार, उड़ीसा अधिनियम की धारा 3 बल प्रयोग, प्रलोभन या किसी भी कपटपूर्ण तरीके से बलपूर्वक धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित करती है और धारा 4 ऐसे बलपूर्वक धर्म परिवर्तन को दंडित करती है। इसलिए, अधिनियम स्पष्ट रूप से लोक व्यवस्था बनाए रखने का प्रावधान करते हैं, क्योंकि यदि बलपूर्वक धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित नहीं किया गया होता, तो इससे राज्यों में लोक अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती।

24. "लोक व्यवस्था" शब्द का व्यापक अर्थ है। इसका वही अर्थ होना चाहिए जो इसे सूची II की पहली प्रविष्टि के रूप में प्रदान करने के लिए बनाया गया है। रमेश थापर विरुद्ध मद्रास राज्य प्रकरण में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि "लोक व्यवस्था" व्यापक अर्थ की अभिव्यक्ति है और शांति की स्थिति को दर्शाती है जो सरकार द्वारा लागू किए गए आंतरिक नियमों के परिणामस्वरूप राजनीतिक समाज के सदस्यों के मध्य व्याप्त है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. रामजीलाल मोदी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य प्रकरण में पारित निर्णय का भी संदर्भ लिया जा सकता है (जहाँ इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 द्वारा गारंटीकृत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार स्पष्ट रूप से लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन है, और

"यह प्रतिपादित नहीं किया जा सकता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का लोक व्यवस्था के रखरखाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है या धर्म से संबंधित अपराध बनाने वाले विधि को किसी भी परिस्थिति में लोक व्यवस्था के हित में अधिनियमित नहीं कहा जा सकता है"।

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ये दोनों अनुच्छेद इस बात पर विचार करते हैं कि लोक व्यवस्था के हित में उनके द्वारा गारंटीकृत अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। संदर्भ इस प्रकार हो सकता है अरुण घोष विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य के प्रकरण में दिए गए निर्णय पर विचार किया जाना चाहिए, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि कोई बात समुदाय के जीवन की धारा को बाधित करती है, और केवल एक व्यक्ति को प्रभावित नहीं करती है, तो यह लोक व्यवस्था में व्यवधान के समान होगी। इस प्रकार यदि सांप्रदायिक भावनाएँ भड़काने का प्रयास किया जाता है, उदाहरण के लिए इस आधार पर कि किसी व्यक्ति को "बलपूर्वक" दूसरे धर्म में परिवर्तित किया गया है, तो यह, पूरी संभावना है, लोक व्यवस्था के उल्लंघन की आशंका को जन्म देगा, जिससे व्यापक समुदाय प्रभावित होगा। इसलिए, आक्षेपित अधिनियम सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि I के सीमा में आते हैं क्योंकि इनका प्रयोजन समुदाय की अंतरात्मा के लिए निंदनीय तरीके से एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण को प्रतिबंधित करके लोक व्यवस्था में व्यवधान से बचना है। दोनों अधिनियम धर्म के नियमन का प्रावधान नहीं करते हैं और हमें इस तर्क का कोई औचित्य नहीं मिलता कि वे सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 97 के अधीन आते हैं।

26. फलस्वरूप, सिविल अपील क्रमांक 1489 और 1511/1974 और दाण्डिक अपील क्रमांक 255/1974 विफल होती है एवं खारिज की जाती है, जबकि सिविल अपील क्रमांक 344–346/1976 स्वीकार की जाती है और उड़ीसा उच्च न्यायालय के 24 अक्टूबर, 1972 के आक्षेपित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय को अपास्त किया जाता है। मध्य प्रदेश की अपीलों में पक्षकारगण अपना वाद–व्यय स्वयं वहन करेंगे। उड़ीसा की अपील में राज्य सरकार पूर्व निर्देशानुसार उत्तरवादी को व्यय का संदाय करेगा।

**31.** माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई उपरोक्त टिप्पणियों के दृष्टिगत, प्रलोभन या कपट द्वारा बलपूर्वक धर्मांतरण को रोकने के लिए होर्डिंग्स लगाना असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि ये होर्डिंग्स संबंधित ग्राम सभाओं द्वारा मूलनिवासी आदिवासियों और स्थानीय सांस्कृतिक विरासत के हितों की रक्षा के लिए एहतियाती उपाय के रूप में लगाए गए हैं।

**32.** अन्यथा भी, यह एक स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्तागण के पास 2022 के नियमों के अधीन एक वैकल्पिक वैधानिक उपचार उपलब्ध है। 2022 के नियमों का नियम 14 निम्नानुसार है: चूँकि याचिकाकर्तागण के पास 2022 के नियमों की धारा 14(1) के अधीन ग्राम सभा से संपर्क करने का एक वैकल्पिक उपचार है और यदि याचिकाकर्ता अभी भी व्यथित हैं, तो वे 2022 के नियमों की धारा 14(2) के अधीन उप–मंडलाधिकारी(राजस्व) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसका याचिकाकर्तागण ने अभी तक आश्रय नहीं लिया है, इसलिए हम याचिकाकर्तागण को इस न्यायालय की शरण लेने से पूर्व वैधानिक उपचार का लाभ उठाने का निर्देश देना उचित समझते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि याचिकाकर्तागण को कोई आशंका है कि उन्हें अपने गाँवों में प्रवेश करने से रोका जाएगा या कोई खतरा है, तो वे पुलिस से सुरक्षा की मांग कर सकते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**33.** दोनों याचिकाएँ 2022 के पेसा नियमों के अधीन कार्यरत ग्राम सभाओं की कार्रवाइयों को चुनौती देती हैं। नियम 14, संबंधित ग्राम सभा को संदर्भित करने के बाद, अनु–विभागीय अधिकारी (राजस्व) के समक्ष कोई भी शिकायत करने के लिए एक वैधानिक उपचार प्रदान करता है। ऐसे वैकल्पिक वैधानिक उपचार को दृष्टिगत रखते हुए, हम संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन इन रिट याचिकाओं पर प्रत्यक्ष रुप से विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।

**34.** उपरोक्त विश्लेषण के दृष्टिगत,रिट याचिका(जनहित)क्रमांक 83/2025 और रिट याचिका (जनहित) क्रमांक 86/2025 दोनों को निम्नलिखित निर्देशों सहित **निराकृत** किया जाता है:

• याचिकाकर्तागण, यदि वे चाहें तो, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष छत्तीसगढ़ पेसा नियम, 2022 के नियम 14 के अधीन उपचार प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र हैं।

• यदि याचिकाकर्ता या किसी व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता या आवागमन के प्रति खतरे की आशंका हो, तो वे अधिकारिता वाली पुलिस से सुरक्षा की मांग कर सकते हैं, जिस पर विधि सम्मत विचार किया जाएगा।

• यदि कोई अंतर्वर्ती आवेदन हैं, तो वे निराकृत हो जाएंगें।

• यदि याचिकाकर्ता अपने लिए उपलब्ध वैकल्पिक उपचार का आश्रय लेते हैं, तो उपरोक्त की गई कोई भी टिप्पणी उनके प्रकरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधि के अनुसार, उसके गुण–दोष के आधार पर उस पर विचार किया जाएगा।

• याचिकाकर्ता(गण) द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशि समपहृत की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
(बिभु दत्त गुरु)
**न्यायाधीश**

सही/–
(रमेश सिन्हा)
**मुख्य न्यायाधिपति**

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**